कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन
उत्तर प्रदेश ब्रान्च
नियमावली

विधान सभा सचिवालय,

उत्तर प्रदेश।

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन

की

उत्तर प्रदेश ब्रांच की नियमावली

विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश,
पटल कार्यालय,
2017

भूमिका

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश ब्रांच की नियमावली प्रथम बार एसोसिएशन की 31 दिसम्बर, 1974 की साधारण बैठक में स्वीकार की गई थी और उसी दिनांक से प्रवृत्त हुई थी। तदुपरान्त कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन मुख्यालय, लन्दन से प्राप्त माडल नियमावली को उत्तर प्रदेश ब्रांच के नियमों के रूप में अंगीकार करने के उद्देश्य से लोक सभा की केन्द्रीय शाखा से प्राप्त उक्त माडल नियमावली पर विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उत्तर प्रदेश ब्रांच की कार्यकारिणी समिति ने अपनी दिनांक 6 सितम्बर, 1985 की बैठक में एक तीन सदस्यीय उप समिति का गठन किया। उक्त समिति ने अपनी बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 में विचारोपरान्त नूतन नियमावली को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे ब्रांच की कार्यकारिणी समिति ने अपनी दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 की बैठक में अनुमोदित किया। कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश ब्रांच की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 में उक्त माडल नियमावली को कतिपय संशोधनों सहित स्वीकृत किया गया।

तद्नुसार यह नियमावली उत्तर प्रदेश ब्रांच के सदस्यों की सुविधा हेतु पुनः मुद्रित की जा रही है।

दिनांक 11 मार्च, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं अवैतनिक सचिव,

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन,

उत्तर प्रदेश शाखा।

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ब्रांच की नियमावली

(जैसा कि एसोसिएशन की 12 जनवरी, 1987 की सामान्य सभा में स्वीकृत हुई)

नाम

1-इस संगठन का नाम कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ब्रांच होगा।

विवरण

2-कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन के संविधान के खण्ड-3 के अधीन इस संगठन को ब्रांच के रूप में गठित किया गया है।

उद्देश्य

3-ब्रांच ऐसे समस्त कार्य करेगा जो एसोसिएशन के उद्देश्यों की, जैसा कि उसके संविधान के खण्ड-1 में दिया गया है, पूर्ति में सहायक या आनुषांगिक हो।

सदस्यता

4-सदस्यता की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :-

(क) साधारण सदस्य,

(ख) सहयुक्त सदस्य,

(ग) सहयुक्त शासकीय सदस्य,

(घ) अस्थाई अवैतनिक सदस्य,

(ङ) आजीवन सदस्य।

साधारण सदस्य

5-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल का प्रत्येक आसीन सदस्य चालू वर्ष के चन्दे का भुगतान करने पर ब्रांच का साधारण सदस्य होने का हकदार होगा।

(2) सदस्यता ऐसे भुगतान के दिनांक से प्रारम्भ होगी और नियम-17 में यथा परिभाषित वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनांक तक बनी रहेगी।

सहयुक्त सदस्य

6-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल का कोई भूतपूर्व सदस्य या एसोसिएशन के किसी अन्य ब्रांच का कोई भूतपूर्व सदस्य, जो उत्तर प्रदेश में स्थाई रूप से निवास करता हो, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से चालू वर्ष के चन्दे का भुगतान करने पर ब्रांच का सहयुक्त सदस्य हो सकता है।

सहयुक्त शासकीय सदस्य

7-ब्रांच का कोई पदधारी या भूतपूर्व पदधारी या किसी अन्य ब्रांच का कोई पदधारी, जो उत्तर प्रदेश में स्थाई रूप से निवास करता हो या उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल का कोई पदधारी या भूतपूर्व पदधारी, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से चालू वर्ष के चन्दे का भुगतान करने पर ब्रांच का सहयुक्त शासकीय सदस्य हो सकता है।

अस्थाई अवैतनिक सदस्य

8-एसोसिएशन के किसी अन्य ब्रांच के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश में आने पर, कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ब्रांच का अस्थाई अवैतनिक सदस्य बनाया जा सकता है।

आजीवन सदस्य

9-(1) नियम-5 से 7 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो नियम-17(2) में विनिर्दिष्ट आजीवन सदस्यता शुल्क का भुगतान करता है, सुसंगत श्रेणी का आजीवन सदस्य होने का हकदार होगा, बशर्ते वह ऐसी सदस्यता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। ऐसे आजीवन सदस्य से किसी वार्षिक चन्दे का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) कोई साधारण आजीवन सदस्य राज्य विधान मण्डल का सदस्य न रह जाने पर, किसी अतिरिक्त चन्दे का भुगतान किये बिना सहयुक्त आजीवन सदस्य हो जायेगा।

पदाधिकारी

10-(1) ब्रांच में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थात्-

(क) सभापति,

(ख) सह-सभापति,

(ग) उप सभापति,

(घ) अवैतनिक सचिव,

(ङ) अवैतनिक कोषाध्यक्ष।

(2) सभा के अध्यक्ष पदेन सभापति होंगे और परिषद् के सभापति (चेयरमैन) ब्रांच के पदेन सह-सभापति होंगे, बशर्ते वे दोनों ब्रांच के सदस्य हों।

(3) परिषद् के उप सभापति, सभा के उपाध्यक्ष, सभा में सदन के नेता, सभा में विपक्ष के नेता और परिषद् में सदन के नेता तथा परिषद् में विपक्ष के नेता, ब्रांच के उप सभापति होंगे, बशर्ते वे ब्रांच के सदस्य हों और सभापति तथा सह-सभापति की अनुपस्थिति में, वे उपर्युक्त क्रम में कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(4) ब्रांच के सदस्यों में से एक सदस्य को वार्षिक सामान्य बैठक में अवैतनिक कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा। अवैतनिक कोषाध्यक्ष ब्रांच की अगली सामान्य बैठक तक पद धारण करेगा।

(5) उप नियम-(2) से (4) में विनिर्दिष्ट समस्त या किसी पदधारी द्वारा ब्रांच का पदाधिकारी बनने से इंकार करने या सदस्य न रह जाने की दशा में कार्यकारिणी समिति उनके स्थान पर ब्रांच के अन्य सदस्यों को तब तक के लिये पदाधिकारी निर्वाचित कर सकती है जब तक कि इन पदों के लिये इच्छुक और ऐसे पदाधिकारी होने के लिये अर्ह पदधारी उपलब्ध न हो जाय।

कार्यकारिणी समिति

11-ब्रांच के कार्य-कलापों का प्रबन्ध नियम-15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी समिति में निहित होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) नियम-10 में निर्दिष्ट पदाधिकारी, और

(ख) सभा के ग्यारह सदस्य और परिषद् से चार सदस्य, जिन्हें वार्षिक सामान्य बैठक में ब्रांच के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा और जो अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक पद धारण करेंगे।

आकस्मिक रिक्ति

12-कार्यकारिणी समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उक्त समिति के शेष सदस्यों द्वारा की जायेगी।

अवैतनिक सचिव

13-(1) सभा का प्रमुख सचिव ब्रांच के अवैतनिक सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) अवैतनिक सचिव ब्रांच का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और कार्यकारिणी समिति के निर्देश से वह ब्रांच के दिन प्रतिदिन के कार्य-कलापों का प्रबन्ध करेगा।

कार्यकारिणी समिति की बैठक

14-(1) कार्यकारिणी समिति की उतनी बार बैठक होगी जितनी आवश्यक हो किन्तु 3 माह में एक बार बैठक बुलानी आवश्यक होगी।

(2) समिति के कम से कम नौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचन पर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलानी आवश्यक होगी।

(3) कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक के लिये सात दिन की सूचना दी जायेगी और उसके साथ ऐसी बैठक में किये जाने वाले कार्य की सूची भी होगी। सभापति या सह-सभापति बिना ऐसी सूचना के कार्यकारिणी समिति की कोई आपात बैठक बुला सकते हैं।

(4) कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति हेतु सात सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(5) नियम-10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभापति या उनकी अनुपस्थिति में सह-सभापति या उनकी अनुपस्थिति में, उप सभापतियों में से एक उप सभापति या उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

वार्षिक सामान्य बैठक

15-(1) ब्रांच की नीति और उसके कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार ब्रांच की सामान्य सभा को होगा।

(2) ब्रांच की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के मानसून सत्र के प्रारम्भ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र या ऐसे दिनांक को, जैसा कार्यकारिणी समिति निदेश दे, होगी।

(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक बैठक के लिये पन्द्रह दिन की सूचना आवश्यक होगी।

(4) प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक के लिये कार्य सूची निम्नलिखित होगी :-

(क) पिछली सामान्य बैठक के कार्यवृत्त और उससे उत्पन्न समस्त विषयों का पुष्टीकरण,

(ख) विगत वर्ष के दौरान ब्रांच के कार्य-कलापों पर कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट पर विचार,

(ग) अवैतनिक कोषाध्यक्ष के लेखा परीक्षित लेखा विवरण पत्र पर विचार,

(घ) कोई अन्य कार्य जिसके सम्बन्ध में उप नियम (6) के अधीन सम्यक् सूचना दी गई हो,

(ङ) अवैतनिक कोषाध्यक्ष का निर्वाचन,

(च) कार्यकारिणी समिति के पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन,

(छ) अवैतनिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

(5) बैठक का अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से, एसोसिएशन के कार्य-कलापों से सम्बद्ध किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय को विचार-विमर्श के लिये बिना किसी सूचना के स्वीकार कर सकता है।

(6) कोई सदस्य जो वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा विचार किये जाने के लिये कोई मामला प्रस्तुत करना चाहता हो, ऐसे मामले की लिखित सूचना ऐसी बैठक के दिनांक से सात दिन पूर्व अवैतनिक सचिव को देगा।

(7) किसी वार्षिक सामान्य बैठक की गणपूर्ति हेतु पच्चीस सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु किसी स्थगित सामान्य बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(8) नियम-14(4) के उपबन्ध किसी वार्षिक सामान्य बैठक पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे कार्यकारिणी समिति की बैठकों पर लागू होते हैं।

विशेष सामान्य बैठक

16-(1) ब्रांच की कोई विशेष सामान्य बैठक कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(2) यदि ब्रांच के कम से कम पच्चीस सदस्यों द्वारा किसी भी समय कोई लिखित अधियाचन, जिसमें किया जाने वाला कार्य विनिर्दिष्ट हो, प्रस्तुत किया जाय तो कार्यकारिणी समिति ऐसे अधियाचन के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर ब्रांच की विशेष बैठक बुलाने के लिये बाध्य होगी।

(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक बैठक के लिये पन्द्रह दिन की सूचना आवश्यक होगी, परन्तु कार्यकारिणी समिति अल्पकाल सूचना पर भी कोई आपात सामान्य बैठक बुला सकती है।

(4) ऐसे कार्य से जिसके लिये ऐसी बैठक बुलाई जाय, भिन्न कोई कार्य विशेष सामान्य बैठक में नहीं किया जायेगा।

(5) नियम-15 के उप नियम (7) और (8) के उपबन्ध किसी विशेष सामान्य बैठक पर यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी वार्षिक सामान्य बैठक पर लागू होते हैं।

वित्त

17-(1) ब्रांच का वित्तीय वर्ष प्रतिवर्ष पहली सितम्बर से प्रारम्भ होगा और आगामी वर्ष के 31 अगस्त को समाप्त होगा।

(2) ब्रांच के सदस्यों द्वारा देय चन्दा निम्नलिखित होगा :-

(क) साधारण सदस्य-बीस रुपया प्रतिवर्ष,

(ख) सहयुक्त सदस्य-बीस रुपया प्रतिवर्ष,

(ग) सहयुक्त शासकीय सदस्य-बीस रुपया प्रतिवर्ष,

(घ) आजीवन सदस्य-एक सौ रुपया।

(3) ऊपर निर्दिष्ट चन्दे की दर में कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(4) वार्षिक चन्दा प्रतिवर्ष पहली सितम्बर को देय होगा और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अभ्यावेशित व्यक्तियों के मामले में पूरे वर्ष का चन्दा देय होगा।

(5) कोई सदस्य, जिस पर कोई चन्दा बकाया हो, सदस्यता के किसी अधिकार या विशेषाधिकार का उपभोग नहीं कर सकेगा और उसकी सदस्यता निलम्बित समझी जायेगी।

(6) यदि कोई सदस्य चन्दे का भुगतान सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में नहीं करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अवैतनिक लेखा परीक्षक

18-अवैतनिक लेखा परीक्षक ब्रांच का एक सदस्य होगा, जिसकी नियुक्ति सामान्य वार्षिक बैठक में ऐसे व्यक्तियों में से, जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य न हो, की जायेगी। सभा या परिषद् का कोई अधिकारी भी, जो ब्रांच के प्रबन्धन से सम्बन्धित न हो, उसी तरह अवैतनिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

सदस्यों का विशेषाधिकार

19-(1) इस नियमावली और एसोसिएशन के संविधान के अनुच्छेद-26 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी समिति ब्रांच के सदस्यों को ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार दे सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

(2) भारत में या विदेश में एसोसिएशन के उद्देश्यों से सम्बन्धित किसी सम्मेलन में प्रतिनिधियों और किसी सेमिनार या भ्रमण या अन्य कार्यों के लिये सदस्य नियुक्त करने की शक्ति कार्यकारिणी समिति में निहित होगी।

(3) कोई व्यक्ति किसी सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में या किसी सेमिनार या भ्रमण के लिये सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह चालू वर्ष में तथा ऐसी नियुक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में ब्रांच का सदस्य न रहा हो।

मतदान

20-(1) जैसा नियम-21 में उपबन्धित है उसके सिवाय, ब्रांच की किसी बैठक में विनिश्चय उपस्थित और मत देने के लिये हकदार सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का हक होगा, किन्तु मत के बराबर होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को भी निर्णायक मत देने का हक होगा।

नियमावली का संशोधन

21-(1) इस नियमावली का संशोधन ब्रांच के सदस्यों की किसी सामान्य बैठक में किया जा सकता है, किन्तु कोई संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे सदस्यों के जो उपस्थित हों और मत देने के हकदार हों, कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे संशोधन के पक्ष में मत न दें।

(2) प्रत्येक ऐसे संशोधन की एक प्रति सदैव एसोसिएशन के मुख्यालय को भेजी जायेगी।

निरसन और अपवाद

22-(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 को एसोसिएशन की सामान्य बैठक में अनुमोदित रूल्स आफ दी यू0पी0 ब्रांच आफ दी कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन निरसित हो जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को ब्रांच का सदस्य हो, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसे नियमों के अनुसार सुसंगत श्रेणी का ब्रांच का सदस्य समझा जायेगा।

निर्वचन

23-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) ''सभा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ (भारत) से है,

(ख) ''एसोसिएशन'' का तात्पर्य कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन से है,

(ग) ''ब्रांच'' का तात्पर्य कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश से है,

(घ) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, लखनऊ (भारत) से है।

पी0एस0यू0पी0-एल0 257 विधान सभा (418)-1-02-2017-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।